प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1462 /2018

निर्णय सुरक्षित किया गया : 27.01.2025

निर्णय पारित किया गयाः06.03.2025

भीखम पटेल पिता बारातुरम पटेल , 56 वर्ष , निवासी ग्राम पासौद, पुलिस थाना–देवड़ी, जिला–बालोद, छत्तीसगढ़

अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा , पुलिस थाना–बालोद, जिला–बालोद, छत्तीसगढ़

उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :––श्री अरुण कुमार शुक्ला, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु:–– श्री अखिलेश कुमार, शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास,न्यायाधीश

सी ए वी निर्णय

रजनी दुबे न्यायाधीश के अनुसार

1. वर्तमान अपील विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), जिला बालोद द्वारा विशेष एसटी क्रमांक 21/2017 में पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नलिखित ढंग से दंड पारित किया गया है:–––

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. की धारा 376 (2) (एल)	10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/– रूपये का जुर्माना। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
एससी/एसटी अधिनियम (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (□)	आजीवन कारावास तथा रू.4000–का जुर्माना। जुर्माना राशि अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 08/01/2017 को रेंगहाई गांव में मड़ई मेला का आयोजन किया गया था। पीड़िता गूंगी और बहरी है तथा बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर है। उक्त दिनांक को जगदीश ठाकुर और वर्तमान अपीलकर्ता नामक दो व्यक्ति पीड़िता की दादी के घर लगभग 10.00 बजे मेहमान बनकर आये तथा दोपहर का भोजन करने के बाद दोनों गांव में चल रही खेल प्रतियोगिता देखने चले गये।परिवादी और उसकी गूंगी पोती घर में ही रह गई। सर्दी के कारण पीड़िता छत पर बैठी थी और करीब 3 बजे जब परिवादी छत पर गई तो उसने देखा कि पीड़िता नीचे सो रही थी और अभियुक्त उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसे देखकर अभियुक्त उठकर भाग गया और फिर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, फिर उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों और आस–पास के लोगों को दी, जिसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।अन्वेषण पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया , जैसा कि निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेख किया गया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि तथा दंड का आदेश विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य भी त्रुटिपूर्ण हैं। विचारण न्यायालय मेडिकल रिपोर्ट और पीडब्लू–6 डॉ. श्रीमती गीता मिश्रा के बयान को समझने में विफल रहा है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि अभियोक्ता के साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाया गया है, ऐसे में वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनता है। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट (एक्सपी–20) के अनुसार स्लाइड और अन्य वस्तुओं की

रासायनिक जांच में कोई मानव शुक्राणु नहीं पाया गया था।अतः यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्ता के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं।उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभियोक्ता घटना के समय 23 वर्ष से अधिक आयु की वयस्क थी।अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि मूक बधिर विशेषज्ञ श्रीमती भुनेश्वरी देवी भी इस दायित्व के अधीन हैं कि वह पीड़िता की प्रशिक्षक नहीं थीं, इसलिए वह पीड़िता के हाव–भाव को समझने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके बयान के आधार पर दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में मान्य नहीं रह सकती है।अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की असामान्यता के बारे में कोई मेडिकल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त की दं. प्र. सं. कि धारा 313 के तहत परीक्षा में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त से एफएसएल रिपोर्ट के बारे में उचित प्रश्न नहीं पूछे और उसे एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराया।अतः,अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। **नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1641 में दी गई है।

4. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है तथा प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है तथा वर्तमान अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया है, इसलिए यह अपील निराधार है तथा खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 376 (2) (जे) (एल) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोप निर्धारित किया गया तथा उसे दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया, जैसा कि निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेख किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियोक्ता गूंगी एवं बहरी है तथा उसका बयान भुनेश्वरी ध्रुव की मदद से दर्ज किया गया, जो मूक एवं बधिर केन्द्र, प्रयास सोसायटी, सुपेला भिलाई की प्रशिक्षक है। अभियोक्ता के न्यायालयीन कथन से यह भी स्पष्ट है कि उसने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक भाषा एवं विशेषज्ञ के माध्यम से दिया तथा उसका बयान विशेषज्ञ की मदद से लिखा गया था।कंडिका 2 में, अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष ने उससे कुछ प्रश्न पूछे,लेकिन अभियोक्ता उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं थी,जो इस प्रकार हैं:–––

"प्रश्न– घटना कब की थी ?

उत्तर– विशेषज्ञ का कथन है कि यह बताने में असमर्थ है।

प्रश्न– सीढ़ी से गिरते समय तुम्हें आरोपी ने बचाया था ?

उत्तर– विशेषज्ञ द्वारा कहा गया कि इसमें सिर हिलाकर गवाह हॉ कहती हे किंतु घटना ज्यादा दिन की होने के कारण ऐसे गवाह अपनी स्मृति को को कम कर देते हैं तथा गवाह मानसिक रूप से भी अविकसित है। "

8. अभियोक्ता की दादी गौतम बाई (पी.डब्लू.–2) ने बताया कि दिनांक 08.01.2017 को जब वह अपने घर पर थी, शाम को करीब 4 बजे कपड़े लेने छत पर गई थी, तभी उसने देखा कि उसकी पोती अंडरवियर पहनकर बाहर आ रही है, उसी समय अभियुक्त भीकम भी बाहर आ गया, जिस पर उसने अपनी पोती को डांटा कि वह यहां क्या कर रही है, तो वह रोने लगी, जिस पर उसने अभियुक्त से पूछा कि उसने उसकी पोती के साथ क्या किया है, तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया है। इसके बाद उसने घटना अपने परिजनों को बताई।कंडिका 8 में प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि अभियोक्ता बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर है और वर्तमान में उसका मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है।उसने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं ही उसके कपड़े ठीक से पहनाए।उसने स्वयं कहा कि वह कपड़े तो पहनती है लेकिन ठीक से नहीं पहनती है।कंडिका 9 में उसने स्वीकार किया कि अभियोक्ता स्वयं ही पेशाब कर देती है।उसने यह भी स्वीकार किया कि पेशाब करने के बाद वह धीरे–धीरे कपड़े पहनती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्ता के पिता पीडब्लू–3 ने कहा कि उसकी माता ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया है, तब उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि अभियोक्ता बचपन से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने घटना नहीं देखी है।

10. इनाम कुमार ठाकुर (पीडब्लू–4) ने कहा कि अभियोक्ता की दादी ने उन्हें घटना के बारे में बताया था, लेकिन प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि यह सत्य है कि अभियोक्ता की दादी द्वारा बताई गई घटना उनके द्वारा पुलिस बयान (एक्स–डी/2) में नहीं बताई गई थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है और यह सब सुनी–सुनाई बात है।

11. डॉ. गीता मिश्रा (पीडब्लू–6) ने 09.01.2017 को अभियोक्ता की जांच की और उन्होंने कहा कि अभियोक्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें उसके शरीर पर कोई आंतरिक चोट नहीं मिली और हाल ही में हुए यौन संबंध के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट (एक्स–पी/9) दी और स्लाइड, अभियोक्ता के कपड़े एक्स–पी/10 के जरिए रासायनिक जांच के लिए भेजे गए। 12.एफएसएल रिपोर्ट (एक्स–पी/20) के अनुसार, अभियोक्ता की योनि स्लाइड (अनुच्छेद–बी) और अन्य वस्तुओं अर्थात अभियोक्ता के अंतःवस्त्र (अनुच्छेद–ए), अभियोक्ता के जघन बाल (अनुच्छेद–सी) और अभियुक्त के अंतःवस्त्र (अनुच्छेद–डी) में शुक्राणु पाए गए, कोई वीर्य नहीं पाया गया था।विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि योनि स्लाइड पर शुक्राणु पाए गए थे, लेकिन सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में उससे उचित तरीके से प्रश्न नहीं पूछे गए थे ताकि वह अपना बचाव कर सके।

13. अभियोक्ता के बयान से यह स्पष्ट है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसकी दादी और पिता ने भी स्वीकार किया कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। डॉ. गीता मिश्रा (पीडब्लू–6) ने भी पैरा 2 में कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। दादी (पीडब्लू–2) के बयान के अनुसार, उसने देखा कि अभियोक्ता ने अपना अंडरवियर पहना हुआ था। एफआईआर (एक्स–पी/2) में अभियोक्ता की दादी ने केवल इतना कहा कि अभियोक्ता ने उसे अपने हाव–भाव से घटना के बारे में बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। अपने पुलिस बयान (एक्स–डी/1) में भी उसने कहा कि उसने देखा कि अभियोक्ता लेटी हुई थी और अभियुक्त उसके ऊपर था और उसे देखते ही वह भाग गया। न्यायालय के बयान में उसने कहा कि उसने देखा कि अभियोक्ता ने अपना अंडरवियर पहना हुआ था।समस्त साक्षीयों ने कहा कि अभियोक्ता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह बहरी और गूंगी है।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में निम्नानुसार प्रावधान है:–––

"119. मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ साक्षी – जो साक्षी बोलने में असमर्थ है, वह अपना साक्ष्य किसी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह उसे समझने योग्य बना सके, जैसे लिखकर या संकेतों के द्वारा; लेकिन ऐसा लेखन लिखित होना चाहिए और संकेत खुली अदालत में किए जाने चाहिए, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा:परंतु कि यदि साक्षी मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो अदालत बयान दर्ज करने में दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता लेगी और ऐसे बयान की वीडियोग्राफी की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह के मामले में, (2012) 5 एससीसी 789 में रिपोर्ट की गई, कंडिका 18, 19, 20 और 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य यह दर्शाता है कि पहले विधि में बहरे और गूंगे व्यक्तियों को मूर्ख माना जाता था।हालाँकि, बाद में इस दृष्टिकोण को इस कारण से बदल दिया गया है कि आधुनिक विज्ञान ने यह उजागर किया है कि ऐसी आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति आम तौर पर अधिक बुद्धिमान पाए जाते हैं, और पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च संस्कृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब किसी बहरे और गूंगे व्यक्ति की अदालत में जांच की जाती है, तो न्यायालय को सावधानी बरतनी होती है और जांच से पहले यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखना होता है कि उसके पास अपेक्षित मात्रा में बुद्धि है और वह शपथ की प्रकृति को समझता है।इस पर संतुष्ट होने पर, गवाह को उचित तरीके से शपथ दिलाई जा सकती है और वह भी दुभाषिए की सहायता से।हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है, तो उस पद्धति को अपनाना सबसे अधिक वांछनीय है क्योंकि यह किसी भी सांकेतिक भाषा से अधिक संतोषजनक है। विधि के अनुसार संकेतों का अभिलेख होना चाहिए न कि संकेतों की व्याख्या।

19. मीसाला रामकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 182 में, इस न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति के संकेतों और सिर हिलाने के माध्यम से दर्ज किए गए मृत्युपूर्व कथन के साक्ष्य मूल्य पर विचार किया है, जो किसी भी कारण से बोलने की स्थिति में नहीं है और माना है कि यह मौखिक कथन के बराबर है और इस प्रकार, प्रासंगिक और स्वीकार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि 'मौखिक' कथन 'मौखिक' कथन के बराबर नहीं है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों के मद्देनजर, एकमात्र आवश्यकता यह है कि गवाह अपना साक्ष्य किसी भी तरीके से दे सकता है जिससे वह उसे समझने योग्य बना सके, जैसे कि लिखकर या संकेतों के माध्यम से और ऐसे साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में मौखिक साक्ष्य माना जा सकता है। सिर हिलाकर या सिर हिलाकर किए गए संकेत और हाव-भाव स्वीकार्य हैं और ऐसे सिर हिलाना और हाव-भाव न केवल स्वीकार्य हैं बल्कि साक्ष्य संबंधी मूल्य भी रखते हैं।

20. भाषा शब्दों से कहीं अधिक है।अन्य सभी भाषाओं की तरह, संकेतों के माध्यम से संचार में भी कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता जो संदेश देने का प्रयास कर रहा है उसे समझना मुश्किल हो सकता है।लेकिन एक गूंगे व्यक्ति को केवल उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह बनने से नहीं रोका जाना चाहिए।ऐसा व्यक्ति बोलने में असमर्थ होने पर भी अगर वह साक्षर है तो लिखकर या अगर वह पढ़ने और लिखने में असमर्थ है तो संकेतों और हाव-भावों के माध्यम से अपनी बात कह सकता है।इसका एक उदाहरण मूक फिल्में हैं जिन्हें व्यापक रूप से समझा गया क्योंकि वे नए संकेतों और हाव-भावों के माध्यम से लोगों तक विचारों का संचार करने में सक्षम थीं।शरीर की भाषा और चेहरे के भावों पर जोर देने से श्रोताओं को इच्छित संदेश को समझने में सक्षम बनाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. संक्षेप में, एक बहरा और गूंगा व्यक्ति एक सक्षम साक्षी है। यदि न्यायालय की राय में, उसे शपथ दिलाई जा सकती है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा साक्षी, यदि पढ़ने और लिखने में सक्षम है, तो उससे लिखित में प्रश्न करके और लिखित में उत्तर मांगते हुए उसका बयान दर्ज करना वांछनीय है। यदि साक्षी पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है, तो उसका बयान, यदि आवश्यक हो तो दुभाषिया की सहायता से सांकेतिक भाषा में दर्ज किया जा सकता है। यदि दुभाषिया उपलब्ध कराया जाता है, तो वह उसी परिवेश का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन मामले में उसकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए और उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए।"

16. उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि यदि न्यायालय की राय में गूंगा-बहरा व्यक्ति भी सक्षम साक्षी है, तो उसे शपथ दिलाई जा सकती है। यदि साक्षी पढ़ने-लिखने में सक्षम नहीं है, तो यदि आवश्यक हो तो दुभाषिए की मदद से सांकेतिक भाषा में उसका बयान दर्ज किया जा सकता है।इस प्रकरण में भी विशेषज्ञ की मदद से अभियोक्ता का बयान दर्ज किया गया, लेकिन बयान पत्र से यह स्पष्ट है कि वह सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है और अभियोक्ता के पिता, अभियोक्ता की दादी और यहां तक कि डॉक्टर ने भी कहा कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अभियोक्ता की दादी ने भी बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने केवल यह देखा कि घटना के समय अभियोक्ता ने अपने अंतर्वस्त्र पहने हुए थे।विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ एफएसएल रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता से उसके दं.

प्र. सं. कि धारा 313 बयान के तहत कोई उचित सवाल नहीं पूछा गया था कि योनि स्लाइड में वीर्य पाया गया था (अनुच्छेद–बी) ताकि वह अपने बचाव में इसकी व्याख्या कर सके, जो कि दं. प्र. सं. की धारा 313 का एकमात्र उद्देश्य है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेश कुमार (सुप्रा) मामले में पैरा 11 में निम्नानुसार निर्णय दिया:–––

"11. इस प्रकार शामिल विवाद्यक के संदर्भ में,दं. प्र. सं. कि धारा 313, के मूल उद्देश्य पर गौर करना उचित है। इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा कई बार विचार किया गया है, ताकि यह माना जा सके कि यह प्राकृतिक न्याय के एक लाभकारी सिद्धांत को समाहित करता है, अर्थात, ऑडी अल्टरम पार्टम और इसके तहत अभियुक्त की जांच करने के लिए न्यायालय को सशक्त बनाना संबंधित अभियुक्त को अभियोजन साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर देना है। वी.के. शशिकला बनाम राज्य 1 के निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दं. प्र. सं. कि धारा 313, के तहत अभियुक्त की जांच न केवल उसे उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उसे अपराध में उसकी कथित संलिप्तता के संबंध में अपना स्वयं का संस्करण प्रस्तुत करने की अनुमति भी देगी। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह की परिक्षण का उसके द्वारा पेश किए जाने वाले बचाव के साथ उचित संबंध होगा और इसलिए, इस तरह की परिक्षण में कोई भी विफलता उसके द्वारा किसी विशिष्ट बचाव को अपनाने की स्थिति में उसके अधिकार को कम करने का प्रभाव डाल सकती है। सामान्य स्थिति यह है कि यदि अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक परिस्थिति उसके समक्ष नहीं रखी जाती है, तो उसका उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए तथा उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। साथ ही, हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह एक सर्वमान्य स्थिति है कि दं. प्र. सं. कि धारा 313, के अंतर्गत किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति पर गैर–परीक्षण या अपर्याप्त परीक्षण, अपने आप में, संबंधित दोषी के विरुद्ध वाद को तब तक निष्प्रभावी नहीं करेगा, जब तक कि इससे उसके प्रति भौतिक पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता न उत्पन्न हो।सुरेश चंद्र बिहारी बनाम बिहार राज्य 2 और वरियाम सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 के मामले में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दं. प्र. सं कि धारा 313, के तहत केवल दोषपूर्ण/अनुचित जांच, अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त करने का कोई आधार नहीं होगी, जब तक कि इससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा न हो।उक्त स्थिति को देखते हुए, जिसका तत्परता से पालन किया जा रहा है, हम इस पर अधिकारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक नहीं समझते है।"

इस मामले में, यह स्पष्ट है कि दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान में, अभियोक्ता की योनि स्लाइड पर पाए गए वीर्य के बारे में उससे कोई उचित प्रश्न नहीं पूछे गए थे ताकि वह अपना बचाव कर सके या सवाल का सही जवाब दे सके। प्रश्नों में से एक प्रश्न संख्या 26 है जो एफएसएल रिपोर्ट के बारे में अभियुक्त से पूछा गया था:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रश्न 26:– उप पुलिस अधीक्षक आर०एस०ध्रुव अ.सा.कं.–9 के अनुसार उसने प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर प्रपी0–18 के माध्यम से भेजा था, जिसकी पावती प्रपी0–19 व रिपोर्ट प्रपी0–20 है, आपका क्या कहना है? उत्तरः नही मालूम"

18. उपरोक्त चर्चाओं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, इसलिए संदेह का लाभ अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जा सकता है।

19. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार किया जाता है।दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 (2) (एल) और एससी/एसटी एक्ट (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अपीलकर्ता कारागार में है।यदि उसे किसी अन्य अपराध में अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

21. बीएनएसएस 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही एक वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख का अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

सही/–
रजनी दुबे
न्यायाधीश

सही/–
नरेंद्र कुमार व्यास
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur